(3)

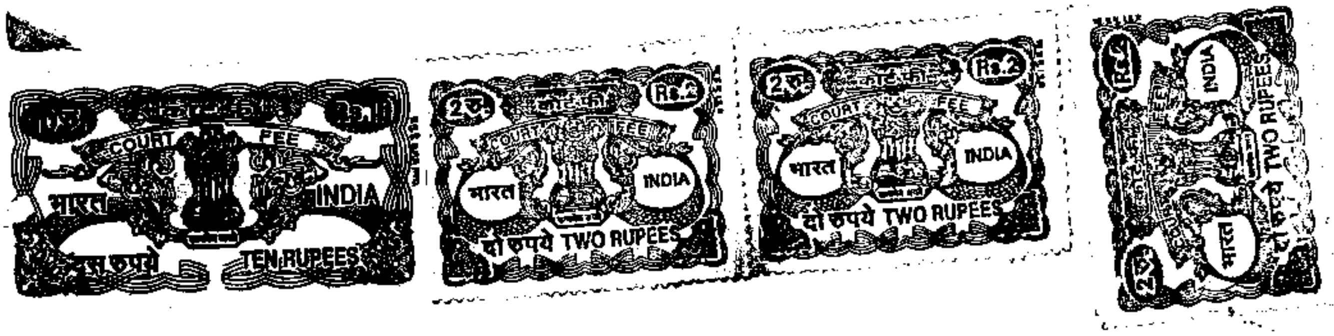

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /2014 पुनरीक्षण निगरानी 4214-III-14

दिनाँक 17-12-14 को श्री मुकेश [illegible] द्वारा प्रस्तुत।
17-12-14
SO.

रामभरोसे तनय जगन्नाथ दीक्षित
निवासी–ग्राम गहबरा
तहसील–गौरीहार जिला–छत्तरपुर

विरूद्व

1. मध्यप्रदेश शासन
2. रमेश तनय बेटू अहिरवार
निवासी–ग्राम–हिनोती
तहसील–गौरीहार जिला–छत्तरपुर

तहसीलदार गौरीहार जिला–छत्तरपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 99/अ–12/2013–14 में पारित आदेश दिनांक 24–09–2014 के विरूद्व पुनरीक्षण अंतर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959.

(3)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-4214-एक/2014 जिला-छतरपुर

रामभरोसे विरूद्ध मध्यप्रदेश शासन व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-04-2019	6. प्रकरण प्रस्तुत । 7. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। अनावेदक क्र. 2 की ओर से अभिभाषक श्री योगेन्द्र सिंह भदौरिया उपस्थित। 8. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार गौरीहार, जिला- छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 99/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 24-09-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 9. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 10. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी गौरीहार, जिला- छतरपुर के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) सदस्य	